सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1-समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

संख्या-1/शा0/188/10-1/205/2010 लखनऊ दिनांक 19 जनवरी, 2011

विषय-पंचायती राज, संस्थाओं में मॉडल एकाउन्टिंग सिस्टम एवं प्रिया सॉफ्ट (PRIA Soft-Panchayati Raj Institution Accounting Software) के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-2929/33-3-2011 दिनांक 07 जनवरी, 2011 (छायाप्रति) संलग्न का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत श्री ए0एन0पी0 सिन्हा, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-एम0-11011/54/09- पी0एण्ड सी0 (AR)/पी0 एण्ड जे0 दिनांक 13-09-2010 तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 21-10-2010 के कम में पंचायती राज संस्थाओं में मॉडल एकाउन्टिंग सिस्टम एवं प्रिया सॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के कियान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा **मॉडल एकाउन्टिंग सिस्टम व प्रिया सॉफ्ट को दिनांक 15-01-2011 से जिला पंचायतों में, दिनांक 30-01-2011 से क्षेत्र पंचायतों में एवं दिनांक 15-02-2011 से ग्राम पंचायतों में लागू किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया गया है।** मॉडल एकाउन्टिंग सिस्टम में चिन्हित 08 डेटाबेस प्रपत्र आपको पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये है, जिन्हें पुनः संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि उक्त प्रपत्र निदेशालय के पत्रांक 1/शा0/88/2010-1/53/2010 दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रसारित सी0 एण्ड ए0जी0 द्वारा अनुमोदित 08 प्रपत्रों से भिन्न हैं। उक्त प्रपत्र पर पंचायती राज संस्थाओं का लेखाकार्य 01-04-2010 से तैयार किये जाने के निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके है। उक्तवत लेखांकन कराया जाना अनिवार्य है। क्योंकि भारत सरकार द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निष्पादन अनुदान प्राप्त करने की शर्तों में से यह भी एक शर्त है।

कृ0पृ0उ0

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07-01-2011 का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें, ताकि यथापेक्षित ढंग से लेखाकार्य निष्पादित हो सके। यदि शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो सम्बन्धित PRI को तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली निष्पादन अनुदान की धनराशि आवंटित किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या-1788/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र दिनांक 07 जनवरी, 2011 के कम में।
3- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15 दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001
4- समस्त मण्डायुक्त, उत्तर प्रदेश/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने जनपद की समस्त क्षेत्र पंचायतों में शासनादेश का कड़ाई से लागू कराना सुनिश्चित करें।
7- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उत्तर प्रदेश।
8- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ जनपदों में उपरोक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
10- श्री सुमित त्रिपाठी, निदेशक तकनीकी, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं पंचायती राज विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

1/आ0/188/10

संख्या– 2929/33–3–2011

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 7 जनवरी, 2011

विषयः– पंचायती राज संस्थाओं में मॉडल एकाउन्टिंग सिस्टम एवं प्रिया सॉफ्ट (PRIA Soft-Panchayati Raj Institution Accounting Software) के कियान्वयन के संबंध।

महोदय,

श्री ए0 एन0 पी0 सिन्हा, सचिव पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–M-11011/54/2009-P&C(AR)/P&J दिनांक 13.09.2010 तथा समसंख्यक पत्र संख्या–M-11011/54/2009-P&C(AR)P&J दिनांक 21.10.2010 के क्रम में 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार निष्पादन अनुदान प्राप्त करने की शर्तो में एक शर्त मॉडल एकाउन्टिंग सिस्टम (MAS) लागू करने के निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुपालन हेतु प्रिया साफ्ट लागू किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार के उक्त पत्रान्तर्गत की गयी अपेक्षा के क्रम में पंचायती राज संस्थाओं में मॉडल एकाउन्टिंग सिस्टम एवं प्रिया सॉफ्ट लागू करने के लिए श्री डी0के0 जैन, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 18–6–2010 को लखनऊ में एक कार्यशाला आयोजित की गयी थी और इसी क्रम मे दो क्षेत्रीय कार्यशालायें जनपद आगरा व इलाहाबाद में क्रमशः दिनांक 26 से 27 नवम्बर, 2010 तथा 3 से 4 दिसम्बर 2010 को सम्पन्न करायी जा चुकी है, जिसमें प्रदेश के सभी जनपदों के अपर मुख्य अधिकारियों, जिला पंचायत राज अधिकारियों तथा लेखाकारों को सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में वर्कशाप/प्रशिक्षण के माध्यम से आवश्यक जानकारी दी जा चुकी है। दिनांक 4 जनवरी, 2011 से पंचायतीराज निदेशालय में प्रिया सॉफ्ट का व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है।

ज्ञातव्य है कि प्रिया साफ्ट एक यूजर फ्रेण्डली साफ्टवेयर है जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लेखों को, स्पष्ट, शुद्ध, अद्यतन एवं त्वरित करने के साथ–साथ समय–समय पर शासन, महालेखाकार एवं भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सावधिक रिपोर्ट एवं रिटर्नस तथा अन्य वित्तीय सूचनाएं मात्र एक वाउचर की प्रविष्टि में प्राप्त की जा सकेगी। शुद्ध लेखे तथा आडिट के कारण परिलक्षित होने वाली पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वबोध के फलस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। पंचायतो की विश्वसनीयता को प्राप्त करने हेतु प्रिया साफ्ट एक वेब आधारित (web enabled) एप्लीकेशन साफ्टवेयर है, जिसके संबंध में राष्ट्रीय एवं प्रदेश में आयोजित कार्यशाला एवं गोष्ठियों में प्राप्त सुझावों को समायोजित करते हुए एन0आई0सी0 दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। प्रिया साफ्ट के माध्यम से तैयार किये जाने वाले लेखों से प्रदेश की 51,914 ग्राम पंचायते, 821 क्षेत्र पंचायते एवं 72 जिला पंचायतों में विभिन्न योजनाओं को लागू करने, उनका अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के द्वारा सफल कियान्वयन के पारदर्शी तथा उत्तरदायित्व पूर्ण उच्चकोटि की जानकारी होगी। सार्वजनिक डोमेन (Domain) पर डेटा उपलब्ध होने पर सूचना के अधिकार के अन्तर्गत जन सामान्य द्वारा भी देखा जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) के द्वारा अनुमोदित 08 लेखा प्रपत्रों को तैयार करने में यह साफ्टवेयर अत्यन्त उपयोगी है जिससे वित्तीय वर्ष 2011–12 का निष्पादन अनुदान प्राप्त करने में सुविधा होगी। प्रिया साफ्ट पर कार्य करने लिये निम्नवत प्रमुख प्रविष्टियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा करायी जानी आवश्यक होगीं :–

1. योजनाओं की मास्टर फाइल तैयार करना।
2. जिन बैंको में पंचायती राज संस्थाओं के खाते संचालित हैं, उनका पूर्ण विवरण प्रविष्ट करना।
3. प्रत्येक बैंक में योजना एवं खातेवार जमा धनराशि का 01.04.2010 को प्रारम्भिक अवशेष।
4. कर्मचारियों एवं विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान किये गये अग्रिमों का विवरण।
5. बैंकवार चेक बुक का विवरण।

प्रिया साफ्ट के विभिन्न पहलुओं की विशिष्टता की जानकारी एवं व्यावहारिक अभ्यास हेतु विभिन्न स्तरों पर संबंधित लेखों से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। साफ्टवेयर से जुड़ी किसी भी समस्या के त्वरित निदान हेतु एन0आई0सी0 के तकनीकी निदेशक, श्री सुमित त्रिपाठी से e-mail Id: sumit.tripathi@nic.in पर सम्पर्क कर समस्या का समाधान किया जा सकता हैं।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मॉडल एकाउन्टिंग सिस्टम व निर्धारित प्रिया-साफ्ट को दिनांक 15.01.2011 से जिला पंचायतों में, दिनांक 30.01.2011 से क्षेत्र पंचायतों में एवं दिनांक 15.02.2011 से ग्राम पंचायतों में लागू कर दिया जाय। कृपया उक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव।

संख्या– /1/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिला पंचायतें, उ0प्र0।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0।
3. अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. महालेखाकार, उ0प्र0 लेखा एवं हकदारी(प्रथम), इलाहाबाद।
5. श्री डी0के0 जैन, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार छठा फ्लोर सम्राट होटल चाणक्य पूरी, नई दिल्ली–21।
6. प्रमुख सचिव, वित्त/ग्राम्य विकास/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. श्री गुलशन रेलन, उपमहालेखाकार, कार्यालय वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), उ0प्र0 सत्यनिष्ठा भवन, 15–ए, दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
8. आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
9. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
12. निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उ0प्र0।
13. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
15. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
16. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।
17. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
18. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
19. वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(डी0 एस0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव,
पंचायती राज, उ0प्र0।